*जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** दिनाँक 26.12.2024*

## *पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के अन्तर्गत पुलिस लाइन संतकबीरनगर में हो रही डी0वी0/पी0एस0टी0 का किया गया निरीक्षण, दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश*

आज दिनाँक 26.12.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता* के** द्वारा पुलिस लाइन में ***उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा 2023*** के अन्तर्गत हो रही अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण (डी0वी0/पी0एस0टी0) का निरीक्षण किया गया। जनपद संतकबीरनगर में *कुल 16 दिनों* में कुल 1196 अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण होना प्रस्तावित है। जिस क्रम में आज दिनांक 26.12.2024 को कुल 58 अभ्यर्थियों की डी0वी0/पी0एस0टी0 होना प्रस्तावित है। महोदय द्वारा सकुशल, शान्तिपूर्ण एवं सुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न करानें / शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अधि0 / कर्मचारीगण को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश । निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह*, क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अजय सिंह,* प्रतिसार निरीक्षक *श्री रजनीकान्त ओझा*, पीआरओ पुलिस अधीक्षक *श्री इन्द्रभूषण सिंह* सहित व अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

## *शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार*

- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

## *मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 69 वाहनों से 82,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया*

आज दिनांक 26.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 69 वाहनों से 82,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

## *थाना मेहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नकली सामान रखने के मामलें में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार*

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत ***थाना मेंहदावल पुलिस*** द्वारा थाना मेहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 346/2024 धारा 318(1), 338, 336(3) बीएनएस व 63, 65 कॉपीराइट अधिनियम (संसोधित) 1957 के मामले में वांछित अभियुक्तराममिलन यादव पुत्र स्व0 पारसनाथ यादव निवासी बहलोलपुर सेक्टर 65 नोयेडा सेक्टर 62 गौतमबुद्ध नगर हाल पता मुहल्ला ठाकुरद्वारा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 27.12.2024 उसके मकान मुहल्ला ठाकुरद्वारा से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 23.11.2024 को वादी श्री अजय पंडित पुत्र स्व0 हरी किशोर पंडीत निवासी क्षीपुर थाना सहाजीतपुर जिला छपरा (सारण) द्वारा थाना मेंहदावल पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध 1. Tata नमक भरा पैक (660) पीस 2. खाली पाउच Tate नमक का (3288) पीस 3. लुज नमक 25 kg 4. आयरन (1) पीस 5. Veet hair Removal cream 30 gram का भरा पैक (620) पीस 6. all out के डब्बे पर लगने वाला स्टीकर (2602) पीस 7. all out का इनर कैप (1502) पीस 8. all out का आऊटर कैप (1002 ) पीस 9. कार्बन स्टीक (2832) पीस 10. all out का भरा डब्बा 45 ML का (2918) पीस 11. all out का खाली डब्बा (2212) पीस 12. all out का आऊटर बाक्स (828) पीस 13. यूज स्लीप (2500) पीस नकली सामान अभियुक्त के पास से बरामद होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 346/2024 धारा 63, 65 कॉपीराइट अधिनियम (संसोधित) 1957 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

***गिरफ्तार अभियुक्त-***

राममिलन यादव पुत्र स्व0 पारसनाथ यादव निवासी बहलोलपुर सेक्टर 65 नोयेडा सेक्टर 62 गौतमबुद्ध नगर हाल पता मुहल्ला ठाकुरद्वारा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल–*** उ0नि0 श्री संजय कुमार वर्मा, का0 मिंटू गुप्ता ।